(ग) ये चलती-फिरती दुकानें मध्य देश के किन-किन विकास खण्डों में कार्यरत हैं और इस वितरण व्यवस्था के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ;

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को राज्य में चलती-फिरती उचित दर दुकान के रूप में चलाने हेतु 44 मोबाइल वैनों की खरीद के लिये वित्तीय सहायता दी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में कुल 94 चलती-फिरती उचित दर दुकानें कार्य कर रही हैं।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि यह कहना सही नहीं है कि वस्तुओं का अधिकांश भाग अफरातफरी में बेचा जाता है और उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सजनमें मध्य प्रदेश शामिल है, अनुरोध किया है कि वे पर्वतीय, दूरस्थ, दूर-दूर तक फैले, रेगिस्तानी, आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में बसे उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिये चलती-फिरती उचित दर दुकानों के रूप में मोबाइल वैनें चलायें। जिस जिले में ये चलती-फिरती उचित दर दुकानें चलाई जाती हैं, उस जिले के समाहर्ता की इनके नियंत्रण और वितरण की व्यवस्था हेतु समग्र जिम्मेदारी होती है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन कार्यरत अधिकारी

2283. **श्री राजू भाई ए० परमार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करायी है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और इस प्रकार के अन्य कानूनों के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारियों को दोषी पाया गया है और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) सरकार उन कानूनों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये क्या प्रयास कर रही है ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबन्ध आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं को विनियमित करने हेतु मूलतः नियंत्रण आदेशों के जरिये लागू किये जाते हैं। उन्हें लागू करने का कार्य मूलतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जिम्मे है। उक्त कानून के कार्यान्वयन में लगे अधिकारियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करना उन्हीं का कार्य है।

(ख) इस मंत्रालय में सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक और अन्य मामलों से संम्बित आंकड़े आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों को कठोरता से लागू किया जाये।

एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की अनुप्रयोज्यता

2284. **डा० बापू कालदाते** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू करके उन यात्रियों की परेशानी को दूर करने का विचार रखती है जिन्हें एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स द्वारा परेशान किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, सार्वजनिक, सहकारी, संयुक्त या निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं पर लागू होता है, जो प्रतिफल के लिए भाड़े पर ली गई हों। अतः एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा दी जाने वाली सेवायें इस अधिनियम के तहत आती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Sub Inspectors in the Civil Supplies Department

2285. SHRI RAMSINH RATHWA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Sub-Inspectors in the Civil Supplies Department of Delhi Administration are assigned the duty of Inspectors of the Department;

(b) whether it is also a fact that they are held responsible for the job previously assigned to Inspectors;

(c) whether Government propose to enhance the pay scales of Sub-Inspectors equal to those of Inspectors; and

(d) if not, what are reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) and (b) Delhi Administration has reported that both Sub-Inspectors and Inspectors' working in their Food Supplies and Consumer Affairs Deptt, arc field officials and have powers to enforce provisions of various control orders. The services of both these categories of officials are being utilised by them for field as well as office work.

(c) No such proposal is under consideration of the Delhi Administration.

(d) The two are separate categories of posts with different pay scales.

Quota of essential commodities to Maharashtra

2286: SHRI -SATISH PRADHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the monthly quota fixed for various essential commodities distributed through P.D.S, for Maharashtra, State commodity-wise;

(b) the actual release of quota to the State Government monthwise-itemwise in the last 6 months;

(c) the details of shortfalls, if any;

(d) the reasons therefor; and

(e) the action taken by Government of recent requirement of the State Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) to (d) The allocation to and lifting by the State of Maharashtra of rice, wheat, levy sugar, imported edible oil, and kerosene since January, 1992 to June, 1992 is given in the Statement. *(See* below).

(e) The allocations of PDS commodities are made on a month to month basis, taking into account, besides the demands of a State Government/UT, other factors like the stocks position in the Central Pool, *intei-se* requirement of States/UTs and seasonality factors etc. PDS allocations are supplemental in. nature and are not intended to meet the entire requirements of States/ UTs.